य उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर. ए. एस.

न. मु. 44/2020

1 श्रवणराम पुत्र राउराम जाति जाट निवासी वार्ड न. 4, पुरोहितों का बास बीदासर तह. बीदासर चूरू

बनाम

1 श्रीमती सुगना पत्नी स्व. पुसाराम जाति जाट निवासी मानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू
2 भंवरराम पुत्र स्व. पुसाराम जाति जाट निवासी मानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू
3 भीखाराम पुत्र स्व. पुसाराम जाति जाट निवासी मानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू
4 नेमाराम पुत्र स्व. फुसाराम स्व. पुसाराम जाति जाट निवासी मानपुरा तह. बीदासर जिला चूरू
5 स्व. जेठी पत्नी स्व. नथाराम जाति जाट निवासी मानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू
6 खेताराम पुत्र नथाराम जाति जाट निवासी मानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू
7 लालाराम पुत्र नथाराम जाति जाट निवासी मानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू
8 रेवन्तराम पुत्र नथाराम जाति जाट निवासी मानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू
9 डूँगरराम पुत्र नथाराम जाति जाट निवासी मानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू
10 श्रीमती मीरां पत्नी केशराराम जाति जाट निवासी मानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू
11 चन्द्राराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी मानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू
12 सुखाराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी मानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू
13 श्रीमती आशी पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी मानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू
14 शाखा प्रवन्धक, वैक ऑफ वड़ौदा शाखा वीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
15 शाखा प्रवन्धक, पंजाव नेशनल वैक शाखा चाड़वा तहसील बीदासर जिला चूरू
16 राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार वीदासर तहसील कार्यालय बीदासर जिला चूरू (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बावत घोषणात्मक रेंकार्ड दुरूस्ति व चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं मौंखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955''

उपस्थित :–

1 वादी – श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 प्रतिवादी स. 1 ता 4 , 11 परमानन्द विजारणीया एडवोकेट
3 प्रतिवादी स. 5 ता 10 व 12, 13 श्री आमीन शेख एडवोकेट
4 प्रतिवादी स. 16 – पैरोकार राज.

निर्णय दिनांक :– 7 /8 /2021

वाद पत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रोही मानपुरा में खेत खसरा नम्बर 128 रकबा 10.8505 **हैक्टेयर** (42–18 बीघा) संयुक्त खातेदारी का राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त वर्णित खातेदारी खेत में **से अविभाजित** 01 बीघा भूमि जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र सम्पादित पंजीकृत तारीख 11–11–2014 **कार्यालय** उप पंजीयक बीदासर के आधार प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 के पिता पूसाराम पुत्र नथाराम जाति

लगातार..........2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

जाट निवासी मानपुरा से वादी के नाम खरीद शुदा है। विक्रय पत्र पंजीयन के वक्त विक्रय भूमि का विक्रय मुल्य रू. 88,015/— वादी द्वारा प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 के पिता पूराराम को बतौर प्रतिफल अदा किया जाकर कब्जा विक्रय भूमि का वादी को सम्भलाया जा चुका हैं। खरीद के वक्त दिनांक 11—11—2014 से विक्रय भूमि तादादी 01 बीघा पर वादी का कब्जा बतौर खातेदार दर्ज चला आ रहा है।वादी अनपढ़ और काश्त पैशा व्यक्ति होने के कारण विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व कागजात में नामान्तरकरण दर्ज तस्दीक करवाने की प्रकिया की जानकारी नहीं होने के कारण विक्रय भूमि की खातेदारी प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 के पिता पूसाराम के नाम राजस्व रेकार्ड में चलती रही। जिसका ज्ञान वादी को कभी नहीं रहा। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 4 के पिता पूसाराम ने अपने जीवनकाल में वादी को अपने खातेदारी हिस्सा 1/7 में से 01 बीघा भूमि विक्रय करने एवं कब्जा सुपुर्द करने के उपरान्त भी राजस्व कर्मचारियों एवं बैंक कर्मियों से मिलीभगत कर सम्पूर्ण हिस्सा 1/7 को प्रतिवादी सख्या 15 पंजाब नेशनल बैक शाखा चाड़वास के रहन रख कर रहन रकम प्राप्त कर ली, जो प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 4 के पिता पूराराम द्वारा गलत और विधि विरूद्ध की गई। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 4 के पिता पूराराम के फौत हो जाने के उपरान्त प्रतिवादीगण द्वारा बाला बाला राजस्व कर्मचारीयों से मिलिभगत कर पूराराम के सम्पूर्ण हिस्सा 1/7 की खातेदारी अपने नाम राजस्व रेकार्ड मे विरासतनं दर्ज करवा ली। जो मुताबिक कब्जा काश्त गलत एवं निराधार दर्ज की गई। विवादित खसरा भूमि में पूसाराम के 1/7 हिस्सा में से 01 बीघा भूमि वादी की खरीद शुदा है एवं उक्त खसरा भूमि में 01 बीघा भूमि का उपयोग उपभोग वादी द्वारा खरीद के वक्त से किया जा रहा है। राजस्व रेकार्ड में खातेदारी प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 4 एवं प्रतिवादी सख्या 15 के नाम गलत दर्ज चली आ रही है। कब्जा काश्त एवं विक्रय पत्र अनुसार राजस्व रेकार्ड को संशोधन करवा कर उपरोक्त विवादित खसरा में 01 बीघा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का वादी अधिकारी है। वादी द्वारा कई मर्तबा प्रतिवादीगण से उपरोक्त 01 बीघा की खातेदारी वादी के नाम करवाने का निवेदन किया गया, प्रतिवादीगण 1 ता 4 आज कल आज कल करके टालमटोल करते। अन्त में दिनांक 25—1—2020 को प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 4 ने वादी के नाम खातेदारी दर्ज करवाने एवं राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवाने से साफ मना कर दिया। जिससे वादी को वादाधार प्राप्त है एंव राजस्व रेकार्ड वादी की खातेदारी शुद्ध करवाने की इन्कारी ही वाद हैतुक है। इस कारण वादी का प्रथम दृष्टया सारवान मामला भी बनता है व सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है प्रतिवादीगण 5 ता 14 संयुक्त खातेदार होने के कारण पक्षकार संयोजित किये गये है जिनसे किसी प्रकार की रिलीफ वाद द्वारा नहीं चाही गई है। प्रतिवादी सख्या 16 भू धारक होने के कारण प्रकरण में पक्षकार संयोजित किये गये है। वादगत कृषि भूमि रोही मानपुरा मे स्थित है जिसके बारे में सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है दावा घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ति व चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती का है जो 6/— छः रू. के न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत किया जा रहा है आदि आदि प्रस्तुत कर निवेदन किया कि घोषित किया जावें कि रोही ग्राम मानपुरा के वादगत खसरा नम्बर 128 रकबा 10.8505 (42—18 बीघा) में से 01 बीघा वादी के कब्जा काश्त एवं मालिकाना अधिकारों की है जिसकी घोषणा वादी के नाम की जाकर राजस्व रेकार्ड में संशोधित किया जाये, घोषित किया जावें कि वादगत खेत खसरा नम्बर 128 रकबा 10.8505 है. (42—18 बीघा) की खातेदारी में प्रतिवादी स. 1 ता 4 की खातेदारी गलत दर्ज है जिसको दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादीगण 1 ता 4 की 1/7 की हटाई जाकर 01 बीघा (रहनमुक्त) की खातेदारी में वादी अपना नाम दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी है इस बाबत आदेश भू—धारक तहसीलदार बीदासर एवं प्रतिवादी स. 15 को फरमाया जाये आदि आदि निवेदन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

लगातार 3 पर

Scanned with CamScanner

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स. 1 ता 4, 11 की और से श्री परमानन्द बिजारणीया ने वकालतनामा मय राजीनामा पेश किया, प्रतिवादी स. 5 ता 10 व 12, 13 की और से श्री आमीन शेख ने वकालतनामा इकबाल जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सख्या 14 बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा बीदासर से प्राप्त ऋण का भूगतान किया जाकर बैंक का अदेयता प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं रहनमुक्त जमाबन्दी प्रस्तुत करने के कारण प्रतिवादी स. 14 का जवाब आवश्यक नहीं है। प्रतिवादी सख्या 15 की विधिवत तामील के बावजूद हाजिर नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा दिनांक 30/6/2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. हमराह छाया प्रति मृत्यू प्रमाण पत्र प्रतिवादी स. 5 जेठी के वारिसान जो पूर्व से पक्षकार संयोजित है पक्षकार स्वीकार कर प्रतिवादी स. 5 जेठी के आगे स्वर्गीय शब्द अंकित किया। साक्ष्य वादी में वादी स. 1 श्रवणराम ने सशपथ बयान प्रस्तुत किये गये। वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2075–2078 खेत खाता न. 120, छाया प्रति विक्रय पत्र दिनांक 11/11/2014 प्रदर्श–2 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये। प्रस्तुत वाद में वादी ने खरीद के वक्त से 01 बीघा भूमि पयोग उपभोग में होने के आधार पर घोषणा का निवेदन किया । पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेज राजीनामा एवं साक्ष्य वादी का भलीभांती ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज राजीनामा अनुसार वादगत खेत की खातेदारी के 1/7 हिस्सा में से 01–00 बीघा भूमि मुताबिक रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र एवं कब्जा काश्त अनुसार वादी के नाम दर्ज करने, प्रतिवादी स. 5 जेठी फौत होने से नाम हटाया जाना एवं प्रविादी स. 14 का अंकन अदेयता प्रमाण पत्र के आधार पर रहन मुक्त अंकन किये जाने योग्य है। वादी का वाद बाबत घोषणात्मक रेकार्ड दुरूस्ति, विभाजन व चिर निषेधाज्ञा किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः खेत खसरा नम्बर 128 रकबा 10.8506 (42–18बीघा) रोही मानपुरा के वर्तमान खातेदारी रेकार्ड को दुरूस्त कर वर्तमान खातेदार प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 के हिस्सा में वादी को 01–00 बीघा का खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी स. 5 जेठी का हिस्सा उनके वारिसो के नाम दर्ज किया जाता है शेष खातेदारान् का हिस्सा प्रतिवादी स. 15 का हित सुरक्षित रखते हुए दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जाता है कि वादी के कब्जे उपयोग उपभोग में बाधा नहीं करें। उपरोक्तानुसार नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने बाबत तहसीलदार बीदासर को अलग से तहरीर जारी की जावे। अन्तिम पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13 – 8 – 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू
सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner